प्रेस नोट दिनांक 02.08.2025 जनपद प्रतापगढ़ पुलिस

थाना- महेशगंज, जनपद- प्रतापगढ़

थाना महेशगंज पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित 02 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत पूरेकिसनी नहर पुलिया के पास थाना महेशगंज पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 25000/- ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के पैर में गोली लगी व अन्य 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मौके से गिरफ्तार किया गया।

घायल ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त उमेश पाल को ईलाज हेतु सीएचसी महेशगंज ले जाया गया है।

अभियुक्तों कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद तमंचा 12 बोर,01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, 01 मोबाइल व 01 मोटरसाइकिल बरामद-

अभियुक्तों पर जनपद प्रयागराज, जनपद भदोही, जनपद प्रतापगढ़ में लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अभियोग पंजीकृत है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 30.06.2025 को शाम करीब 5 बजे वादी अपनी दुकान बन्द करके स्कूटी से अपने घर जा रहा था। थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जैतापुर में वादी के बैग को सफेद रंग की मोटर साइकिल पर बैठे 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पीछे से आकर बिना मोटर साइकिल को रोके झपट्टा मारकर स्कूटी पर से बैग को लूटकर भाग गये। उक्त के संबंध में थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 135/25 धारा 309(4) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 02.08.2025 को रात्रि को ASP(W) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के नेतृत्व मे थाना महेशगंज पुलिस टीम व स्वाट टीम की संयुक्त टीम द्वारा थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत बहोरीपुर नहर पुलिया के पास के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में लूट के अभियोग से संबंधित 01 शातिर ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त उमेश पाल पुत्र शिवप्रसाद पाल निवासी घाटमपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज के पैर में लगी गोली व अन्य 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त नीरज कुमार पटेल उर्फ वकील पटेल पुत्र रामकरन पटेल निवासी निवासी घरवन का पुरवा दहियावां थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज को मौके से गिरफ्तार किया गया है। घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु सीएचसी महेशगंज ले जाया गया है।

अभियुक्तों कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद तमंचा 12 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर, 01 मोबाइल व 01 मोटरसाइकिल बरामद की गई।

घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में टीमें गठित की गई थीं। घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों से साक्ष्य संकलन व निरंतर की जा रही तलाश/घेराबंदी के क्रम में आज दिनांक 02.08.2025 को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत पुरेकिसनी नहर पुलिया के पास थाना महेशगंज पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त टीम से हुई मुठभेड़ में 01 ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के बायें पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे पुलिस हिरासत में इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया गया है तथा मौके से 01 अन्य अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है।

<u>घायल/ गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण</u>

1- उमेश पाल पुत्र शिवप्रसाद पाल निवासी घाटमपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज।

2- नीरज कुमार पटेल उर्फ वकील पटेल पुत्र रामकरन पटेल, निवासी निवासी घरवन का पुरवा दहियावां थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज।

<u>घायल/ गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास-</u>

1- उमेश पाल पुत्र शिवप्रसाद पाल निवासी घाटमपुर गंगानगर कमिश्नरेट, जनपद प्रयागराज

01. मु0अ0सं0 47/2024 धारा 379/411 भा0दं0सं0 थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज।
02. मु0अ0सं0 161/2024 धारा 109(1)/111/310(2)/317(3) व 3/25 आम्र्स एक्ट थाना गोपीगंज, जनपद भदोही।
03. मु0अ0सं0 135/2025, धारा 309(4) बीएनएस थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 161/2025, धारा 109(1)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महेशगंज प्रतापगढ़।

2- नीरज कुमार पटेल उर्फ वकील पटेल पुत्र रामकरन पटेल, निवासी निवासी घरवन का पुरवा दहियावां थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज

01.मु0अ0सं0 181/2022 धारा 379/411 भा0दं0सं0 थाना होलागढ़, जनपद प्रयागराज।
02.मु0अ0सं0 616/2021 धारा 379/411 भा0दं0सं0 थाना सोरांव, जनपद प्रयागराज।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

01. थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ उ0नि0 नीरज कुशवाहा, उ0नि0 अंशू सिंह, उ0नि0 शिवा प्रजापति हे0का0 शिवेंद्र सिंह, का0 रिंकू सिंह, का0 सुमित सिंह, का0 वीरपाल थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़
02. स्वाट टीम जनपद प्रतापगढ़।

<u>जनपद प्रतापगढ़-</u>

जिलाधिकारी श्री शिव सहाय अवस्थी व पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार की संयुक्त कार्रवाई — NDPS तस्करी में लिप्त शातिर अपराधी "लोहा यादव" को PIT-NDPS एक्ट में एक वर्ष की निरुद्धीकरण कार्यवाही

तस्करी के शातिर अभियुक्त “"लोहा यादव" के विरुद्ध की गई 1 वर्ष की निरुद्धीकरण की कार्यवाही PIT-NDPS Act, 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश पर की गई है।-

प्रतापगढ़ जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी क्षेत्रांतर्गत रहने वाले कुख्यात अपराधी लोहा यादव पुत्र स्व. राजबहादुर यादव निवासी ग्राम लवेदा, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध PIT NDPS ACT 1988 की धारा 3(1) के अंतर्गत 01 वर्ष की निरुद्धीकरण की कार्यवाही की गई है।

उक्त अभियुक्त एक शातिर एवं गिरोहबंद अपराधी है, जिसकी हिस्ट्रीशीट संख्या 71A थाना पट्टी में दर्ज है। अभियुक्त के विरुद्ध 24 से अधिक आपराधिक मुकदमे विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं, जिनमें NDPS एक्ट, जबरन वसूली, गांजा तस्करी, डकैती, लूट, चोरी एवं गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं, पंजीकृत हैं।

अभियुक्त के विरुद्ध प्रमुख कार्यवाहियां-

10.04.2025 को ANTF(Anti-Narcotics Task Force) लखनऊ व थाना पट्टी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में अभियुक्त को 61 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में मु0अ0सं0 100/2025 धारा 8/20 NDPS ACT थाना पट्टी में पंजीकृत है।

06.01.2023 को जनपद प्रयागराज बार्डर, गनेशगंज पर अभियुक्त को स्विफ्ट डिजायर कार (DL 3C BD 0777) में साथी अभियुक्तों महेन्द्र गौतम, अनिल गौतम व मनोज पाल के साथ 50 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले में थाना देल्हुपुर में मु0अ0सं0 04/2023 धारा 08/20/29 NDPS ACT पंजीकृत है, जिसका आरोप पत्र संख्या 20A/2024 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

06.03.2009 को थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त को 2000 नशीली गोलियों (डायजापाम, वजन 380 ग्राम) के साथ गिरफ्तार किया गया था। मु0अ0सं0 78/2009 धारा 22 NDPS ACT पंजीकृत कर, आरोप पत्र संख्या 42/09 न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त लोहा यादव पुत्र स्व0 राज बहादुर यादव निवासी ग्राम हलवेदा थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 100/25 धारा 8/20 NDPS Act थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 04/2023 धारा 8/20/29 NDPS Act थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 78/2009 धारा 22 NDPS Act थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 25/2021 धारा 147/148/149/307/504/506 IPC थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 63/2022 धारा 386/506 IPC थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 338/2020 धारा 3/25 A Act थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0 27/2019 धारा 60 Excise Act थाना गौरा जनपद प्रतापगढ़।
8. मु0अ0सं0 168/2019 धारा 3/25 A Act थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
9. मु0अ0सं0 169/2019 धारा 10 गोवध निवारण अधिनियम थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
10. मु0अ0सं0 155/2016 धारा 25 A Act थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
11. मु0अ0सं0 296/2016 धारा 147/148/307/504/506 IPC थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
12. मु0अ0सं0 307/2016 धारा 25 A Act थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
13. मु0अ0सं0 66/2015 धारा 323/504/506 IPC व 3(1)(10) SC/ST Act थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
14. मु0अ0सं0 314/2015 धारा 147/323/504/506 IPC व 7 CLA Act थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
15. मु0अ0सं0 376/2015 धारा 323/504/506 IPC व 3(1)(10) SC/ST Act थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
16. मु0अ0सं0 78/2012 धारा 323/353/504 IPC थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
17. मु0अ0सं0 38/2010 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
18. मु0अ0सं0 254/2009 धारा 394/504/506 IPC थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
19. मु0अ0सं0 265/2009 धारा 394 IPC थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
20. मु0अ0सं0 422/2009 धारा 392 IPC थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।
21. मु0अ0सं0 549/2009 धारा 392 IPC थाना अजगरा नगर जनपद गाजीपुर।
22. मु0अ0सं0 838/2009 धारा 379 IPC थाना बदलापुर जनपद जौनपुर।
23. मु0अ0सं0 201/2008 धारा 323/504/506/324 IPC व 3(1)(10) SC/ST Act थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
24. मु0अ0सं0 206/2005 धारा 323/504/506/325 IPC व 3(1)(10) SC/ST Act थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

संगठित नेटवर्क एवं समाज पर प्रभाव-

अभियुक्त द्वारा जनपद प्रतापगढ़, सुल्तानपुर व जौनपुर में संगठित गिरोह बनाकर गांजा तस्करी का नेटवर्क स्थापित किया गया है। इसके साथ महेन्द्र गौतम, अनिल गौतम व मनोज पाल जैसे सहयोगियों को सम्मिलित कर यह अवैध कार्य निरंतर चलाया जा रहा है। इससे क्षेत्र में नशाखोरी में वृद्धि, युवाओं का अपराध की ओर झुकाव व सामाजिक असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही थी।

प्रतापगढ़ पुलिस जनपद को नशा मुक्त और सुरक्षित समाज बनाने हेतु प्रतिबद्ध है।
"नशा व अपराध मुक्त प्रतापगढ़ – हमारा संकल्प"

थाना रानीगंज, जनपद- प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 02 अदद सफेद धातु की आंख चोरी करने वाला 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत सवैया तिराहे भट्ठे के पास से किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 02 अदद सफेद धातु की आंख किया गया बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्रा. पचरास वार्ड नं. 8 जामताली मोड़ पट्टी मार्ग पर स्थित मन्दिर से प्रतिमा में लगी चाँदी की आख चोरी होने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में मु0अ0सं0 205/2025 धारा 305 (डी) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, प्रतापगढ़ श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना रानीगंज प्रभारी निरीक्षक श्री प्रभात कुमार सिंह के नेत्तृत्व में उ0नि0 राज नारायण यादव मय हमराह हे०कां0 गंगासागरजी, कां0 योगेन्द्र सिंह व कां0 नारायणजी द्वारा देखभाल क्षेत्र, शान्ति व्यवस्था ड्यूटी, पेण्डिंग विवेचना, जाँच प्रार्थना पत्र, तलाश वांछित अभियुक्त वारण्टी, चेकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति, रात्रिगश्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना रानीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 205/2025 धारा 305 (डी) बी0एन0एस0 से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त विजय उर्फ विपिन गौतम पुत्र सेवाराम नि० खुशहालगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को चोरी की 02 सफेद धातु की आंख के साथ थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत सवैया तिराहे भट्ठे के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि यह वही मूर्ति की आँखें हैं जो मैने कुछ दिन पहले जामताली चौराहा के बगल स्थित हनुमान मन्दिर से हनुमानजी की मूर्ति से आंखे चुराई थीं। जिसे आज मैं पर्स में रखकर बेचने के लिए रानीगंज जा रहा था। मैने यह आंख यह समझकर चोरी किया था कि यह आंख महंगी धातु की होगी। मैं गरीब आदमी हूं तथा अपना

खर्चा चलाने के लिए कभी कभार इधर उधर से सामान आदि चोरी कर लेता हूं। चोरी के सामानों को औने पौने दामों में चलते फिरते राहगीरों को बेचकर अपना खर्च पूरा करता हूं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-</u>
1. विजय उर्फ विपिन गौतम पुत्र सेवाराम नि० खुशहालगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त विजय उर्फ विपिन गौतम पुत्र सेवाराम नि० खुशहालगढ़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
1- मु0अ0सं0-15/19 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी जनपद प्रतापगढ़।
2- मु0अ0सं0 205/2025 धारा 305 (डी) बी0एन0एस0 थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- चोरी की 02 अदद सफेद धातु की आंख बरामद।

<u>थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ</u>
प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा अवैध 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व 01 अदद मोटर साइकिल के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ में गैर इरादतन हत्या, हत्या का प्रयास, मारपीट, धमकी, आर्म्स एक्ट जैसे 03 अभियोग है पंजीकृत

अभियुक्त को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत मान्धाता विश्वनाथगंज मार्ग पर अकोढिया गेट से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 हेमन्त कुमार वर्मा मय हमराह उ0नि0 अनूप यादव, का0 मनीष यादव, का0 अनी कुमार व का0 पंकज कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर दिनांक 02.08.2025 को अवैध 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज व 01 अदद मोटर साइकिल के साथ 01 अभियुक्त दिलशान पुत्र इमरान शेख नि0 ग्राम याहीया थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत मान्धाता विश्वनाथगंज मार्ग पर अकोढिया गेट से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के पास से अवैध 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना मान्धाता पर मु0अ0सं0 98/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रयुक्त मोटर साइकिल को अन्तर्गत धारा-207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अभियुक्त दिलशान पुत्र इमरान शेख नि0 ग्राम याहीया थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्त दिलशान का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 66/25 धारा109(1),115(2),126(2), 190, 191(2), 191(3), 288, 351(3) बीएनएस थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0108/24 धारा 147,148, 149, 308, 323, 504, 506 भादवि थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 98/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

<u>बरामदगी-</u>

अवैध 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।

<u>पुलिस टीम का विवरण-</u>

उ0नि0 हेमन्त कुमार वर्मा मय हमराह उ0नि0 अनूप यादव, का0 मनीष यादव, का0 अनी कुमार व का0 पंकज कुमार थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–</u>

उ0नि0 राज नारायण यादव मय हमराह हे०कां0 गंगासागरजी, कां0 योगेन्द्र सिंह व कां0 नारायणजी थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

<u>चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 01 राशि बकरी बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना कोतवाली देहात)</u>

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डाॅ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाकर अपराध/अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनाँक 01.08.2025 को पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 श्री केशवराम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 194/2025 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण 1. दिलीप पुत्र नन्दलाल उम्र लगभग 22 वर्ष 2. विकास पुत्र रामधन उम्र लगभग 23 वर्ष नि०गण बहलोलपुर चौकी क्षेत्र भुपियामऊ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ के पास से चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 01 राशि चोरी की बकरी बरामद किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-</u>

1. दिलीप पुत्र नन्दलाल उम्र लगभग 22 वर्ष नि० बहलोलपुर चौकी क्षेत्र भुपियामऊ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ
2. विकास पुत्र रामधन उम्र लगभग 23 वर्ष नि० बहलोलपुर चौकी क्षेत्र भुपियामऊ थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

<u>बरामदगीः-</u> 01 राशि चोरी की बकरी बरामद।

<u>थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़</u>

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन-

हत्या का प्रयास, मारपीट व धमकी देने के अभियोग से संबंधित 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में-

थाना पट्टी पुलिस टीम द्वारा 01 बाल अपचारी को थाना क्षेत्रान्तर्गत कलियानापुर नहर पुलिया से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया-

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

ग्राम जलालपुर किठौली थाना पट्टी में जमीन जोतने के विवाद को लेकर वादी व वादी के परिजनों को आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से हमला किया गया । जिसके संबंध में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पट्टी में मु0अ0सं0 227/25 धारा 115 (2)/352/351 (3)/109 (1) बीएनएस बनाम 02 नामजद व 01 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 केशव प्रसाद मय हमराह हे0का0 विनोद सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी में पंजीकृत मु0अ0सं0 227/25 धारा 115 (2)/352/351 (3)/109 (1) बीएनएस में वांछित 01 बाल अपचारी को थाना क्षेत्रान्तर्गत कलियानापुर नहर पुलिया से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- बाल अपचारी।

पुलिस टीमः-

उ0नि0 केशव प्रसाद मय हमराह हे0का0 विनोद सिंह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।